रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 1972/आश्विन 26, 1894

No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1972/ASVINA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1972

S.O. 668(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and in supersession of its notification No. 429/A&NI/71(1), dated the 2nd September, 1971, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Shri K. Sethuraman, Additional District Magistrate, Port Blair, as the Electoral Registration Officer for the Andaman and Nicobar Parliamentary Constituency.

[No. 429/A&NI/71(1).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1972

एस० ओ० 668 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं० 429/अ० नि० द्वी/71(1) तारीख 2 सितम्बर, 1971, को अतिष्ठित करके, निर्वाचन आयोग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के परामर्श से, श्री के० सेथूरामन, अपर जिला मजिस्ट्रेट पोर्टब्लेयर को अण्डमान और निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में, एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 429/अ०नि०द्वी०स०/71(1)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972